सरकार	आवेदन शुल्क	माहिति प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त शुल्क					रिकार्ड निरीक्षण	अदायगी
केन्द्र सरकार	रू 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रू 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपार्ट के लिए नियत मूल्य या रू 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी या सी.डी. के लिए रू 50/–	सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पष्चात् हर घंटे के लिए रू 5/–	नगद या बैंक ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में
महाराष्ट्र सरकार	रू 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रू 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपार्ट के लिए नियत मूल्य या रू 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी या सी.डी. के लिए रू 50/–	सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पष्चात् हर 15 मिनट के लिए रू 5/–	नगद, बैंक ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चैक कोर्ट फी स्टैम्प या मनी आर्डर के रूप में
		(*टपाल से माहिति मंगवाने का खर्च अतिरिक्त शुल्क में शामिल किया जायेगा)						

- माहिति के बताये जाने से अपराधों की तहकीकात में या अपराधियों को पकड़ने में बाधा पैदा होती है **या**
- कोई व्यक्तिगत माहिति जिसका संबंध किसी लोक हित से नहीं है।

लेकिन इन छूटों के दायरे में आने के बावजूद अगर माहिति देने में लोक हित ज़्यादा है और अन्य हितों को होने वाला नुकसान कम है तो ऐसी जानकारी दी जायेगी।

माहिति न मिलने पर क्या किया जाये?

- यदि जन माहिति अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इनकार करता है;
- यदि समय सीमा के अंदर माहिति नहीं मिलती है;
- यदि जन माहिति अधिकारी नाजायज़ तरीके से अधिक शुल्क माँगता है;
- यदि जन माहिति अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है;
- यदि जन माहिति अधिकारी नाजायज़ तरीके से माहिति देने से इनकार करता है;
- यदि जन माहिति अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्वारा मांगी गयी माहिति से संबंधित दस्तावेज़ नष्ट कर देता है –

तो संबंधित विभाग में अपील करें।

हर जन माहिति अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को **अपीलीय अधिकारी** नामित किया गया है। इन अधिकारियों की सूची व पते के लिये वेबसाइट देखें –

केन्द्र सरकार – **http://rti.gov.in/ministrynew**

महाराष्ट्र सरकार – **http://maharashtra.gov.in/RightToInformation/index.html**

अपील शुल्क – रू. 20 (नगद, बैंक ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चैक कोर्ट फी स्टैम्प या के रूप में)

अपीलीय अधिकारी 30 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने के लिये बाध्य हैं।

या माहिति आयोग में लिखित रूप से शिकायत करें।

केंद्र सरकार के दफ़्तरों के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी शिकायत भेजें।

केंद्रीय सूचना आयोग
ब्लॉक नं. 4, पाँचवीं मंज़िल, पुराना जे.एन.यू. कैम्पस
नई दिल्ली – 110067 (ईमेलः pkgera@nic.in)
दूरभाष/फैक्सः 011-2671 7354

राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के दफ़्तरों के बारे में शिकायत राज्य माहिति आयोग को भेजें।

महाराष्ट्र राज्य माहिति आयोग
13 वीं मंज़िल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मन्त्रालय के सामने, मुंबई - 400053. दूरभाषः 022-22856078
(ईमेलः sureshjosh@gmail.com)

अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर माहिति आयोग मामले की जांच के लिये संबंधित अधिकारियों को बुला सकता है व दस्तावेज़ों को मंगवा सकता है।

माहिति न देने के कारण को साबित करने की ज़िम्मेदारी जन माहिति अधिकारी की है।

ऊपर बतायी गयी परिस्थियों में जांच के ज़रिये यदि जन माहिति अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो वह दंड का हकदार होगा। माहिति आयोग प्रति दिन 250/– रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000/– रुपये तक का जुर्माना जन माहिति अधिकारी से वसूल कर सकता है। यदि कोई जन माहिति अधिकारी लगातार इस कानून का उल्लंघन करता हो तो माहिति आयोग उसके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभाग को आदेश दे सकता है।

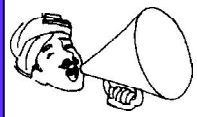

चुनौती – आपके लिये!
आज देष भर में, सैकडों नागरिक, सरकार से हिसाब माँगने लगे हैं। क्या आप इस जन अभियान से नहीं जुड़ेंगे? अपने जानने के हक का प्रयोग करें और अपने विकास की दिशा खुद तय करें।

CHRI's work on the Right to Information is supported by the British High Commission, Friedrich Naumann Stiftung and the Sir Dorabji Tata Trust.

मा. अण्णा हज़ारे प्रणित
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन (महाराष्ट्र)
बी 26, तारापुर गार्डन सो , न्यु लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई - 400 053
दूरभाषः 022-26366251, फैक्सः 022-56938776
ई–मेलः rameshw@rediffmail.com

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
बी–117, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110017
दूरभाषः 011-26864678, 26850523
ई–मेलः chriall@nda.vsnl.net.in
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

(संरचना, संपादन एवं फॉर्मेटिंग: वेंकटेश नायक, ले. कर्नल डॉ. रमेष वासुदेव और सेंथिलकुमार परमशिवं, मार्च 2006)

माहिति का अधिकार

जीने का अधिकार

आप बनिये से हिसाब माँगते हैं...
दूधवाले से हिसाब माँगते हैं...
तो फिर
सरकार से हिसाब क्यों नहीं माँगते हैं?

माहिति लेना — हमारा मौलिक अधिकार
माहिति देने के लिये — सरकार ज़िम्मेदार

क्या आप जानना चाहते हैं?

- आपको महीने में कितना राशन मिलना चाहिए या आपके राशन की दुकान पर हर महीना कितना राशन आता है?
- आपके गाँव में पक्की सडकें क्यों नहीं हैं या आपके गाँव की सड़क की मरम्मत के लिये कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ?
- आपके घर या कस्बे में बिजली की सुविधा कब उपलब्ध होगी?
- आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिए?
- आपके गाँव के स्कूल में षिक्षक क्यों नहीं आते हैं?
- आपके पास अगर रहने के लिए घर नहीं है तो सरकारी आवासीय योजना का कैसे लाभ उठायें?
- सरकारी वृद्धावस्था पेन्षन पाने की कानूनी प्रकिया क्या है?

आपने कितनी बार इन सवालों के जवाब सरकारी दफ़्तरों से मांगने की कोशिश की? फिर भी बार–बार आप खाली हाथ लौट आये?

लेकिन अब परिस्थिति बदलेगी। सरकारी अधिकारियों को सही जवाब देना होगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया है।

जो माहिति आपके विधायक या सांसद को मिल सकती है, वह माहिति आपको देने से सरकार इनकार नहीं कर सकती।

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत

- आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ़्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों से माहिति ले सकते हैं।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ़्तर में माहिति देने के लिये **जन माहिति अधिकारियों** को नामित किया गया है।
- हर **जन माहिति अधिकारी** आपको माहिति देने के लिये बाध्य है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपके मत से सरकार चुनी जाती है। आपके द्वारा अदा किये गये टैक्स के पैसे से सरकारी कामकाज चलता है। बाज़ार से जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो कीमत के साथ टैक्स भी अदा करते हैं।

इस टैक्स के पैसे से सरकारी अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। कल्याणकारी योजनायें चलायी जाती हैं।

तो जब सरकार आपकी और पैसा आपका तो हिसाब किसका?

अब आप –

- किसी भी सरकारी फाइल या दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी दस्तावेज़ की प्रमाणित कॉपी या उद्धरण ले सकते हैं।
- किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारी की प्रति ले सकते हैं।

माहिति कैसे मिलेगी?

निम्न प्रकार की माहिति सरकारी दफ़्तरों को स्वयं घोषित करनी होगी।

- दफ़्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य, शक्तियाँ और वेतन।
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों के पालन के लिये स्थापित मापदंड।
- अपने कामकाज में इस्तेमाल किये जाने वाले नियम, विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशों का ब्यौरा।
- अपने दफ़्तर में उपलब्ध सभी दस्तावेज़ों के प्रवर्गों की सूची।
- सभी योजनाओं के लिये प्रस्तावित बजट, आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट।
- कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का तरीका, लाभार्थियों की सूची तथा आवंटित धनराशि।
- अपने द्वारा दिये गये रियायतों व परमिटों को प्राप्त करने वालों की सूची।

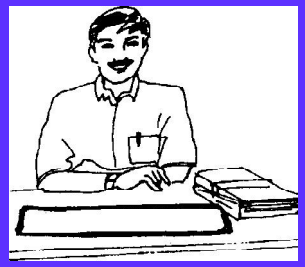

यह सारी जानकारी हर **जन माहिति अधिकारी** के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ध होगी। आपके द्वारा मांगे जाने पर **जन माहिति अधिकारी** को यह माहिति तुरंत प्रिंटाउट या फोटोकॉपी के माध्यम से देनी पड़ेगी। **आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। केवल रू 2/– प्रति पेज के हिसाब से शुल्क देना होगा।**

अन्य जानकारी लेने की प्रक्रिया

ऊपर बतायी गयी जानकारी के अलावा अन्य प्रकार की माहिति भी **जन माहिति अधिकारी** से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे – कोई भी अभिलेख, ज्ञापन, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, कॉंट्रॉक्ट, रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, मॉडल आदि।

- आवेदन पत्र लिखित रूप में आवेदन शुल्क के साथ संबंधित दफ़्तर के **जन माहिति अधिकारी** के पास जमा करना होगा। आवेदन पत्र को डाक या ई–मेल के माध्यम से भी भेजा सकता है। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं)
- नीचे बताये गये प्रस्तावित प्रारूप में आप सादे कागज पर भी आवेदन पत्र लिखकर जमा कर सकते हैं।

जन माहिति अधिकारी के पास आपसे जानकारी माँगने का कारण पूछने का अधिकार नहीं है। कारण बताये बिना आप किसी भी प्रकार की माहिति माँग सकते हैं।

- आवेदन शुल्क के अलावा जन माहिति अधिकारी द्वारा तय किया गया अतिरिक्त शुल्क आपको जमा करना होगा (दस्तावेजों की फोटोकॉपी या फ्लॉपी/सी.डी के लिये शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं)।
- आवेदन पत्र जमा होने के 30 दिनों के अंदर **जन माहिति अधिकारी** माहिति देने के लिये बाध्य है।

अगर मांगी गयी जानकारी किसी व्यक्ति के जीवित रहने से या उसकी आज़ादी से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर देनी होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप

रू 10 कोर्ट फी स्टैम्प चिपकायें

सेवा में, राज्य लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय का नाम व पता.....

1. आवेदक का नाम.....
2. पूरा पता.....
3. चाही गई माहिति का विवरण.....
   (i) किस समय से किस समय तक की माहिति चाहिये?.....
   (ii) किस माध्यम से माहिति लेना चाहते है? – स्वयं/डाक द्वारा
   (iii) अगर टपाल के द्वारा माहिति मंगवाना हो तो इन में से एक को चुने
   सामान्य टपाल/रजिस्टर्ड टपाल/स्पीड पोस्ट*
4. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं – हाँ/नहीं
   (यदि हाँ तो सबूत – बी.पी.एल. राषन कार्ड की फोटोकॉपी साथ लगायें)

स्थान :
दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)

(*टपाल से भेजने का खर्च अतिरिक्त शुल्क में शामिल किया जायेगा)

- इसके अलावा आप आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क देकर संबंधित दफ़्तर में दस्तावेज़ों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दिये गये हैं)।

परंतु जन माहिति अधिकारी माहिति देने से इनकार कर सकता है, अगर –

- माँगी गयी माहिति देने से देश की प्रभुता, अखंडता सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है **या**
- किसी अपराध करने को प्रेरित करता है **या**
- जिसके प्रकटन से न्यायालय की निंदा होती है या जिसके खुलासे पर किसी न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है **या**
- जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा होता है **या**